रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 1973/चैत्र 20, 1895
No. 85] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 1973/CHAITRA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 10th April, 1973

SUBJECT :—*Licensing conditions for Public Sector and Government Imports and Private Sector Imports for the "Twelfth Yen Credit".*

No. 54-ITC(PN)/73.—The conditions governing the issuance of import licences for Public Sector and Government Imports and Private Sector Imports for Twelfth (12th) Yen Credit from Japan as given in Appendices I & II to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX I

CONDITIONS FOR LICENSING OF IMPORTS BY PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS AND GOVERNMENT DEPARTMENTS UNDER THE TWELFTH YEN CREDIT

Section I.—General Conditions

1(*i*) The licence will bear the superscription "Japanese XII Yen Credit" and also an indication whether it relates to the Project or non-Project Segment of the Credit. The licence codet for the first and second suffix will be "X/JN".

1(*ii*) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges in Japan which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be char ed to the licence.

1(*iii*) The import licence will be issued on *C.I.F.* basis with an initial validity period of 4 *months for ordering and* 12 *months for completing the shipments.* After receipt of the import licence, the importer should intimate the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E. I Section the particulars thereof within a fortnight from the date of issue of the import licence.

1(*iv*) Firm orders must be placed on C&F basis on the Japanese Suppliers within four months from the date of issue of the import licence. For import licence issued after 1-9-73 the period allowed for contracting will be reduced suitably so as to ensure that contracting is done not later than 1-1-1974. The value of the contract should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be laid in Indian Rupees. The FOB cost and freight amount should be shown separately. This condition of placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E.I. Section, within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the CCI&E for revalidation for ordering giving reasons why orders could not be placed within four months. Such requests will be considered on merits by the CCI&E in consultation with the Department of Economic Affairs and, if accepted, the licence will be revalidated for ordering for a further period not exceeding three months.

1(*v*) All payments must be completed within one month after expiry of the licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract shold provide for payment on cash basis, i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Japanese Supplier. The contracts under non-Project and Project Segments should provide for the period of delivery of goods as follows :—

"months after the receipt of Letter of credit/but to be completed latest by the end of ."

In fixing the terminal date for shipment, it should be noted that this should not be beyond 31-12-74 in the case of non-Project Segment and 31-12-75 in the case of Project Segment.

Section II.—Special points to be kept in view while contracting

2(*i*) The payment to the Japanese Suppliers should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened in their favour through the Bank of India, Tokyo, under the Japanese Twelfth Yen Credit, the details of which are given in Section V below.

2(*ii*) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, two contracts may be permitted for which the prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained within one month of the issue of import licence.

2(*iii*) The value of an individual contract to be placed under the non-Project Segment of the Twelfth Yen Credit should not be less than Yen 10 million except for the following two categories where a lower minimum value could apply as indicated against each of them :—

Category	*Amount*
(*i*) Indo-Japanese Joint Ventures	Yen 2 million
(*ii*) Contracts of National Small Industries Corporation (NSIC) .	Yen 2 million

For the project Segment of the Twelfth Yen Credit, the value of each contract should not be less than Yen 30 million.

Section III.—Special points to be incorporated in the contracts

3(*i*) The contract should contain a specific provision to the effect that the contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Japanese Exim Bank dated 2nd February, 1973, concerning the Twelfth Yen Credit and will be subject to and become effective on approval of the Government of India and the Japanese Exim Bank for financing it under the Twelfth Yen Credit.

3(*ii*) The contract should contain a specific clause to the effect that the Japanese Supplier would agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo, and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be rerduced. The Japanese Supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

3(*iii*) The contract should also contain a specific provision to the effect that the Japanese Supplier would agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the Japanese Exim Bank/participating Japanese Banks on the other.

Section IV.—Contract approval by Exim Bank

Within a fortnight of placement of contracts, the licensee should forward four copies of the contract with the Japanese Supplier, signed by both the parties, together with a photo copy or an attested copy of the relevant valid import licence to WE I Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, Central Secretariat, New Delhi,alongwith a statement in quadruplicate covering the following :—

(*a*) Name, postal and telegraphic address of the Indian Importer.

(*b*) Name and address of the Japanese Supplier.

(*c*) Name and address of the importer's bank in India. This should be any branch of State Bank of India or any branch of any of the nationalised banks.

(*d*) Value of the contract in Japanese Yen and Indian rupees converted at the composite rate of exchange, indicating F.O.B. value and freight charges separately.

(*e*) Short description of the goods to be imported.

(*f*) A schedule indicating the probable dates and amounts of payments to be made to the supplier under the contract. (The presumptions on which the schedule is based may also be indicated.)

(*g*) Number and date of the import licence.

(*h*) Indicate if the project is an Indo-Japanese Venture. If so, the following particulars of the collaboration agreement, whether financial or technical, should be given in a note clearly indicating if the collaboration agreement is still valid :—

(*i*) Name and address of Japanese collaborator.
(*ii*) Date of Collaboration Agreement.
(*iii*) Item of manufacture.
(*iv*) Nature of collaboration.
(*v*) Upto what period collaboration is valid.
(*vi*) Any other information.

4(*ii*) In case of allocations under Project Segment additional information should be furnished (4 copies as in Annexure I) alongwith copies of the Contract for obtaining the approval of the Japanese Authorities to the allocation besides their approval to the contract. In these cases, the importer has also to send a progress report (in triplicate) regarding utilisation of the foreign exchange to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E. I Section in the first week of January and July of each year pertaining to the preceding six-month period.

4(*iii*) Ministry of Finance,Department of Economic Affairs, W.E.I. Section,would arrange to send copies of the contract to the apanese Exm Bank (through the Embassy of India, Tokyo) for their approval for financing it under the XII Yen Credit.

4(*iv*) On receipt of intimation of contracs approval from the Japanese Exim Bank the licensee will be informed of the same by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E.I. Section, who will also forward one set of the documents to the Controller of Aid Accounnts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street New Delhi. (The Japanese Exim Bank will send a copy of their Notice of Approval of the contract to the Bank of India Tokyo, also)

Section V.—Payment to the Japanese Supplier—Letter of Credit procedure.

5(*i*) Within three weeks from the issue of letter of intimation of contract approval from Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E.I. Section,the licensee should approach the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to Parliament Street, New Delhi (hereinafter referred to as the CAA for convenience) for issue of a letter of authorization to be addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable letter of credit in favour of the Japanese Supplier concerned. (It should be noted that the letters of credit in respect of public sector imports would have to be opened only through Bank of India, Tokyo)

5(*ii*) If the request is found in order, the CAA will issue a letter of authority to the Bank of India, Tokyo, (as per Annexure II) and endorse a copy thereof to the Japanese Exim Bank, Tokyo, the Embassy of India, Tokyo and the concerned Bank in India (referred to in Section IV(c) above). On receipt of letter of authority, Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit in favour of Japanese Supplier concerned and forward the original letter of credit (along with a

copy thereof) to the Japanese Sponsoring Bank which will be designated by the Japanese Exim Bank in their Notice of Approval to the contract) with the request to hand over the original letter of credit to the Japanese Supplier concerned. The Bank of India, Tokyo, will also forward a copy of letter of credit to the Exim, Bank Tokyo; Embassy of India, Tokyo; concerned Bank in India and the CAA. The above procedure of approving contracts and opening of letters of credit on the basis of letters of authority from the CAA would apply to each of contract amendment and corresponding amendment to letter of authority/letter of credit that may become necessary

5(*iii*) The Japanese Supplier shall present, after effecting shipment of the goods, the documents specified in the letter of credit to the Japanese Sponsoring Bank. The latter will scrutinise the documents and after endorsing the relative draft, present them for payment to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found in order. the Bank of India, Tokyo, will release the amount specified in the documents to the Japanese Sponsoring Bank for payment in turn to the Japanese Supplier. The Bank of India, Tokyo, will also pay the Japanese Sponsoring Bank their banking charges which presently are 1/20th of 1% of the invoice value. The Bank of India, Tokyo, will thereafter obtain reimbursement of the cost of imports from the apanese Exim Bank.

5(*iv*) As regards banking charges payable to the Bank of India, Tokyo, for opening of letter of credit, negotiation thereunder, etc. the banking charges of the Japanese Sponsoring bank which are initially paid by the Bank of India, Tokyo, and interest charges for the period counting from the date of payment of the cost of imports by the Bank of India, Tokyo, to the Japanese Sponsoring Bank to the date of reimbursement from the Japanese Exim Bank. These charges should be remitted by the concerned bank in India to the Bank of India, Tokyo, through normal banking channel without affecting the Government of India's Account.

Section VI.—Responsibility for rupee deposit.

6(*i*) The original shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks (as mentioned in para 4(i)(c) above) who should release these negotiable set of documents to the public sector project concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen payment made to the Japanese Supplier, along with interest charges thereon calculated at the rate of 6% per annum for the period from the date of payment by the Bank of India, Tokyo, to the Japanese Sponsoring Bank/Japanese supplier to the date of rupee deposit is deposited into the Government Account. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments will be the composite rate of exchange as laid down in CCI&E's Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28-1-72 as amended by No. 108—ITC(PN)/72 dated 21-7-72 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of he Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above Rupee deposits should be credited is "T—Deposits and Advances—Part II Deposits not bearing interest—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad under direct payment procedure under foreign loans credits" under the detailed head "Deposits for cost of equipment, etc. obtained under the Twelfth Yen Credit from Japan".

6(*ii*) The amount referred to above should be deposited to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Delhi, or, if this is not feasible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India, or its subsidiaries (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184—ITC(PN)/68 dated 30-8-68, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-71.

6(*iii*) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132 ITC(PN)/71 dated 5-10-71 is invariably indicated in the column "full particulars of remittance and authority (if any)" of the challan. Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

6(*iv*) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

6(*v*) *In the Case of imports by the Departments of Central/State Governments (including State Electricity Boards, etc.)* the original shipping documents which need not be routed through a bank, should be sent by Bank of India, Tokyo, to the Departments concerned direct. For the cost of imports the Bank of India, Tokyo, will make the payments initially out of their own resources and obtain reimbursement thereof from the Japanese Exim Bank in the same manner as stipulated

in para 5(*iii*) above. For their own banking charges and for the banking charges of the Japanese Sponsoring Bank which will be initially paid by them, the Bank of India, Tokyo, will obtain reimbursement from the Embassy of India, Tokyo. On receipt of details of reimbursement made to the Bank of India, Tokyo, by Japanese Exim Bank and the Embassy of India, Tokyo, respectively, as detailed above, the CAA will raise debits for the rupee equivalent of the Yen amounts against the Accountant General concerned through the A.G.C.R., New Delhi.

NOTE.—This procedure will also supply to the case of Hindustan Steel Limited since they are maintaining a revolving deposit account with A.G., Bihar, to whom debits will be raised in the same manner as for Government departmental purchases.

Section.—VII Miscellaneous provisions

7(*i*) *Reports on the utilisation of the import licence*

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.

7(*ii*) *Notifying Suppliers of Special Conditions*

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

7(*iii*) *Disputes*

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

7(*iv*) *Future Instructions*

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Twelfth Yen Credit Agreement with the Japanese authorities.

7(*v*) *Breach or violation*

Any breach of violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

7(*vi*) *List of Annexures*

Annexure I—Format for additional information for Project approval.

Annexure II—Letter of Authority Form.

ANNEXURE I

INFORMATION TO BE FURNISHED IN RESPECT OF PROJECTS TO BE FINANCED UNDER THE TWELFTH YEN CREDIT (PROJECT PORTION)

I. *Amount applied for financing*

1. Total project amount applied for financing.
2. Contract amount applied for financing.

II. *Description of enterprise*

1. Name
2. Location
3. Brief history
4. Principal owner or shareholder and management.
5. Financial Statement (Balance Sheet, Profit and Loss Statement) for 3 years.
6. Number of employees.

III. *Description of Project*

1. Location (site, area, etc.)
2. Planning capacity

3. Transportation facilities
4. Power and Water Supply
5. Supply of raw materials
6. Labour potential
7. Installation schedule
8. Marketability
9. Anticipated sales price and monthly turnover during initial period and after attainment of full production
10. Capital requirement and financing.
11. Terms and conditions of sub-loan agreement.

ANNEXURE II

No. GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo, (Japan)

SUBJECT :—*Import under Twelfth Yen Credit.—Issue of letter of authority for opening letter of credit.*

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 9th January, 1973 entered into with your Bank you are hereby authorise to open irrevocable letter of credit for an amount not exceeding Yen..... favouring M/S..... ..... through the .....(Sponsoring Bank) as per the attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importers' Bank, to the Exim Bank, Embassy of India, Tokyo, and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents as in the Appendix I to the Exim Bank of Japan.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the Exim bank of Japan, you will be paid interest as per terms of the above agreement directly by the Importers' Bank. The other banking charges including charges for handling documents, if any, and charges payable to the Japanese Sponsoring Bank will also be settled directly by the Importers' Bank. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the Exim Bank of Japan.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This letter of authority is intended for opening and L/C favouring the Japanese suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This letter of authority will remain valid upto.....

Yours faithfully,

Accounts Officer.

For Public Sector Imports excluding Govt. Departments

Copy forwarded to :—

1. Importer..... with referece to their letter No. ..... dated .....

2. Importers' Banker..... They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee ehuivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the prevailing rate of conversion as indicated in Public Notice No..... dated ..... and such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @6% p.a. for the period between the date of payment to the supplier date or reimbursement to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into Government account, is also required to be deposited into the Government of India account. *It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.*

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari Delhi, or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the SVI, or its subsidiaries (Drawee and Payee) drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233—ITC(PN)[68 dated 24-10-68 and No. 132—ITC(PN)[71 dated 5-10-71. The head of account to be credited is "T—Deposits & Advances—PT. II Deposit not bearing interest—Civil Deposits—Deposit for purchase abroad under Direct Payment Procedure" under the detailed head "Deposit for cost of supplies and equipment obta ned under Twelfth Yen Credit from Japan."

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi, as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)[71 dated 5-10-71, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch

The Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance (Department of Economics Affairs) II Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-1,

In cases where the rupee equivalent are remitted by means of demand drafts laid down in the Public Notice dated 24-10-68 mentioned bove, intimations thereof shoul be sent to the address give above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited along with the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

3. The Export nand Import Bank of Japan, Tokyo.

4. Embassy of India, Tokyo.

Accounts officer

For Imports on behalf of Govt. Departments.

Copy forwarded to :—

1. ....
(Name & address of the Importer/Consignee)

It may be noted that the debits for the rupee equivalents of Yen Payments will be raised through the A.G.C.R., New Delhi, on the.....

....
(Accounts Officer)

2. .....
(Accounts Officer)

APPENDIX II

CONDITIONS FOR LICENSING OF PRIVATE SECTOR IMPORTS UNDER THE TWELFTH YEN CREDIT

Section I.—General Conditions

1(*i*) The licence will bear the superscription "Japanese XII Yen Credit" and also an indication whether it relates to the project or non-project Segment of the Credit. The licence code for the first and second suffix will be "S/JN".

1(*ii*) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges in Japan which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

1(*iii*) The import licence will be issued on C.I.F. basis with an initial validity period of 4 *months for ordering and 12 months for completing the shipments.* After receipt of the import licence, the importer should intimate the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E. I. Section, the particulars thereof within a fortnight from the date of issue of the import licence.

1(*iv*) Firm orders must be placed on CIF or CNF basis on the Japanese Suppliers within four months from the date of issue of the import licence. For import licence issued after 1-9-1973 the period allowed for contracting will be reduced suitably so as to ensure that contracting is done not later than 1-1-1974. The value of the contract should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian Rupees and should also exclude the insurance charges if the insurance is done with an Indian Insurer in which event the premium must be paid in Indian Rupees. The FOB cost, the freight and the insurance element should be shown separately. This condition of placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete Contract documents reach the Ministry of Finance Deptt. of Econoic Affairs, WE I Section within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the CCI&E for revalidation for ordering giving reasons why orders could not be placed within four months. Such requests will be considered on merits by the CCI&E in consultation with the Deptt. of Economic Affairs and, if accepted, the licence will be revalidated for ordering for a further period not exceeding three months.

1(*v*) All payments must be completed within one month after expiry of the licecence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis, i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Japanese Suppliers. The contracts under non-Project and Project Segments should provide for the period of delivery of goods as follows :—

" months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of ".

In fixing the terminal date for shipment, it should be noted that this should not be beyond 1-12-1974 in the case of non-Project Segment and 31-12-1975 in case the of Project Segment.

Section II.—Special points to be kept in view while contracting

2(*i*) The payment to the Hapanese Suppliers should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened in their favour through the Bank of India, Tokyo, under the Japanese Twelfth Yen Credit, the details of which are given in Section V below.

2(*ii*) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, two contracts may be permitted for which the prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained within one month of the issue of import licence.

2(*iii*) The value of an individual contract to be placed under the non-Project Sagment of the Twelfth Yen Credit should not be less than Yen 10 million except for the following category where a lower minimum value would apply as indicated below:—

Category	*Amount*
Indo-Japanese Joint Ventures	Yen 2 million.

For the Project Segment of the Twelfth Yen Credit, the value of each contract should not be less than Yen 30 million.

Section III : Special points to be incorporated in the contracts

3(*i*) The contract should contain a specific provision to the effect that the contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Japanese Exim Bank dated 2nd February, 1973 concerning the Twelfth Yen Credit and will be subject to and become effective on approval of the Government of India and the Japanese Exim Bank for financing it under the Twelfth Yen Credit.

3(*ii*) The contract should contain a specific clause to the effect that the Japanese Supplier should furnish a report to the Embassy of India, Tokyo, immediately after completion of shipping arrangements along with one copy of the invoice and one copy of the Bill of Lading.

3(*iii*) The contract should also contain a specific provision to the effect that the Japanese Supplier would agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the Japanese Exim Bank/participating Japanese Banks on the other.

Section IV : Contract approval by Exim Bank

4(*i*) Within a fortnight of placement of contracts, the licensee should forward four copies of the contract with the Japanese Supplier, *signed by both the parties*, together with a photo copy or an attested copy of the *relevant valid import licence* to WE I Section, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, Central Secretariat, New Delhi, along with *a letter of undertaking* (Annexure I) from a bank authorised to deal in foreign exchange through which the letter of credit in favour of the Japanese Supplier will be opened. Besides these, a statement in quadruplicate covering the following should also be sent :—

(*a*) Name, postal and telegraphic address of the Indian importer.

(*b*) Name and address of the Sapanese ruppliers.

(*c*) Name and address of the importer's bank in India (which will be the bank that will furnish the letter of undertaking referred to above).

(*d*) Value of the contract in Japanese Yen and Indian Rupees converted at the composite rate of exchange, indicating FOB value, freight and insurance charges separately.

(*e*) Short description of the goods to be imported.

(*f*) A schedule indicating the probable dates and amounts of payments to be made to the supplier under the contract. (The presumptions on which the schedule is based may also be indicated).

(*g*) Number and date of the import licence.

(*h*) Indicate, if the project is an Indo-Japanese Venture. *If so,* the following particulars of the collaboration agreement, whether financial or technical should be given in a note clearly indicating if the collaboration agreement is still valid:—

(*i*) Name and address of Japanese collaborator.

(*ii*) Date of Collaboration Agreement.

(*iii*) Item of manufacture.

(*iv*) Nature of collaboration.

5 & 7(*v*) Upto what period collaboration is valid.

(*vi*) Any other information.

4(ii) In case of allocation under Project Segment, additional information should be furnished (4 copies) as in Annexure II along with copies of the Contact for obtaining the approval of the Japanese Authorities to the allocation besides their approval to the contract. In these cases, the importer has also to send a progress report (in triplicate) regarding utilisation of the foreign exchange, to the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, WE I Section, in the first week of January and July of each year pertaining to the preceding six-month period.

4(iii) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE I Section, would arrange to send copies of the contract to the Japanese Exim Bank (through the Embassy of India, Tokyo) for their approval for financing it under the XII Yen Credit.

4(iv) On receipt of intimation of contract approval from the Japanese Exim Bank, the licensee will be informed of the same by the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, WEI Section, who will also forward one set of the documents to the Controller of Aid Accounts, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi. (The Japanesese Exim Bank will send a copy of their Notice of Approval of the contract to the Bank of India, Tokyo, also).

Section V —Payment to the Japanese Supplier—Letter of credit procedure

5(i) Within three weeks from the date of issue of letter of intimation of contract approval from the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, WE I Section, the licensee should approach, along with a Bank Guarantee in the form prescribed in Annexure III, the Controller of Aid Accounts, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, 10, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-1 (hereinafter referred to as CAA for convenience) for issue of a letter of authorisation to the Indian Bank that has furnished the bank guarantee for opening an irrevocable letter of credit in favour of the Japanese Supplier concerned. (It should be noted the letters of credit issued on the Japanese Banks in respect of private sector, imports should be routed invariably through the Bank of India, Tokyo, who will add its confirmation).

5(ii) If the request is found in order, the CAA will issue a letter of authority in the form attached as Annexure IV to the Indian Bank concerned that has furnished the bank guarantee and endorse a copy thereof to the Japanese Exim Bank, Tokyo, and the Bank of India, Tokyo. On the basis of this letter of authority, the Indian Bank concerned will establish an irrevocable letter of credit in favour of Japanese Supplier concerned and forward the original letter of credit (along with four copies thereof) to Bank of India, Tokyo, requesting them to add their confirmation and forward it to the Japanese Supplier through the Japanese Sponsoring Bank (which will be designated by the Japanese Exim Bank in their Notice of Approval to the Contract). The Bank of India, Tokyo, will forward a copy of the letter of credit to the Japanese Exim Bank and the CAA. The above procedure of approving contracts and opening letters of credit on the basis of letters of authority from the CAA would apply to each contract amendment and corresponding amendment to letter of authority/letter of credit that may become necessary.

5(iii) The Japanese Supplier shall present, after effecting shipments of the goods, the documents specified in the lertter of credit for payment to the Japanese Sponsoring Bank. The letter will scrutinise the documents and after endorsing the relative draft, present them for payment to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found in order, the Bank of India, Tokyo, will release the amounts specified in the documents to the Japanese Sponsoring Bank for payment in turn to the Japanese Supplier. The Bank of India, Tokyo, will also pay the Japanese Sponsoring Bank their banking charges which presently are 1/10th of 1% of the invoice value. The Bank of India, Tokyo, will thereafter obtain reimbursement of the cost of imports from the Japanese-Exim Bank.

5(iv) As regards banking charges payable to the Bank of India, Tokyo, for adding its confirmation to the letter of credit, negotiations thereunder, etc., the banking charges of the Japanese Sponsoring Bank which are initially paid by the Bank of India, Tokyo, andinterest charges for the period counting from the date of payment of the cost of imports by the Bank of India, Tokyo, to the Japanese Sponsoring Bank to the date of reimbursement from the Japaness Exim Bank, these charges should be remitted by the concerned in India to the Bank of India, Tokyo, through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section VI —Responsibility for Rupee deposit

6(i) The original shipping documents will invariably be forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned bank in India who should release these negotiable set of documents to the licensee only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen payment made to the Japanese Supplier, alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 6% per annum for the period from the date of payment by the Bank of India, Tokyo, to the Japanese Sponsoring Bank/Japanese Supplier to the date of rupee deposit, is deposited into the Government Account. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments will be the composite rate of exchange as laid down in CCI & E's Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72, as amended by Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-72 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above Rupee deposits should be credited is "T—Deposits and Advances—Part II Deposits not bearing interest—Civil Deposits-Deposits for purchases abroad under direct payment procedure under foreign loans/credits" under the detailed head "Deposits for cost of equipment etc., obtained under the Twelfth Yen Credit from Japan".

6(ii) The amount referred to above should be deposited to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Delhi, or, if this is not feasible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee), for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68, dated 30-8-68, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971.

6(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan, it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably

indicated in the column "full particulars of remittance and authority (if any)" of the challan Thereafter, the Treasury challans evidencing the rupee deposit should be sent by Registered post to CAA indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

6(iv) The concerned bank in India should endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" form to the Reserve Bank of India, Bombay.

6(v) After the obligations in terms of the bank guarantee and the letter of authorisation issued by the CAA in the Ministry of Finance are fulfilled, the concerned bank in India can apply to the CAA for the release of bank guarantee. The application for this purpose must be made in the form laid down in Annexure V.

Section VII—Miscellaneous provisions

7(i) *Reports on the utilisation of the import licence*

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened, regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.

7(ii) *Notifying Suppliers of Special Conditions*

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

7(iii) *Disputes*

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

7(iv) *Future Instructions*

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Twelfth Yen Credit Agreement with the Japanese authorities.

7(v) *Breach or violation*

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

7(vi) *List of Annexures*

Annexure I Form of Letter of Undertaking from a bank.
Annexure II Format for Additional information for Project Approval.
Annexure III Bank Guarantee Form.
Annexure IV Letter of Authority Form.
Annexure V Form of Application for Release of Bank Guarantee.

ANNEXURE I

LETTER OF UNDERTAKING FROM THE BANK

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
North Block,
New Delhi.

SUBJECT :—Import of goods from Japan under the Twelfth Yen Credit—Import Licence No.....dated.....
for Rs.....,issued in favour of M/s. .....
.....

Dear Sir,

We hereby undertake to furnish a bank guarantee envisaged in Section V of the Licensing Conditions regarding XII Yen Credit, in your favour, within 15 days of intimation of the approval of the contract by you.

2. We also undertake to establish within 15 days of the authorisation from you the necessary Letter of Credit favouring the Japanese Supplier through the Bank of India, Tokyo, for the *full-value* of the authorised amount and to provide you a copy thereof.

Yours faithfully,

ANNEXURE II

INFORMATION TO BE FURNISHED IN RESPECT OF PROJECTS TO BE FINANCED UNDER THE TWELFTH YEN CREDIT (PROJECT PORTION)

I. *Amount applied for financing*

1. Total project amount applied for financing
2. Contract amount applied for financing.

II. *Description of enterprise*

1. Name
2. Location
3. Brief history
4. Principal owner or shareholder and management
5. Financial Statement (Balance Sheet, Profit & Loss Statement) for 3 years
6. Number of employees.

III. *Description of Project*

1. Location (site, area, etc.)
2. Planned capacity
3. Transportation facilities
4. Powers and Water supply
5. Supply of raw materials
6. Labour potential
7. Installation schedule
8. Marketability
9. Anticipated sales price and monthly turnover during initial period and after attainment of full production
10. Capital requirement and financing
11. Terms and conditions of sub-loan agreement

ANNEXURE III

GUARANTEE BOND

To

The President of India

In consideration of the President of India (Hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens for the import of.....by..... (hereinafter called the 'importer') against the import licence No.....dated..... .....issued under the terms and conditions of Twelfth Yen Credit, we..... ....Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursements made by the Bank of India, Tokyo, converted at the composite rate of conversion laid down in CCI&E's Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72 as amended by Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-72 or as notified from time to time in Public Notices/A.D. Circulars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by the Government of India under the said credit together with interest thereon at the rate of 6 per cent per annum, from the date of payment to the Japanese Supplier to the date of payment of Rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Bank of India, Tokyo, will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the.....(Bank), also undertake to indemnit y and keep indeminified the Government against any default in payment by the importer of an y sum that may be due and payable from time to time by the importer, to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct such sums not exceeding Rs..... ....., or any part thereof, for the time being due and payable by the im porter, together with interest thereon at the rate of interest mentioned in preceding paragraph from the date of payment to the Japanese supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us.....(Bank), shall be final and binding on us.... .....(Bank).

3. We.....(Bank), further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

4. We.....(Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee, have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the.....(Bank), and the Government shall have the fullest liberty without effecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and the..... .....(Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the.....(Bank) from its such liability.

6. We.....(Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government, in writing.

7. Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs.....(plus interest and all banking charges, not expected to exceed 1% of the guarantee amount) and this guarantee shall remain in force till**the date of.....(month) 19..... Unless claims under this bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, *i.e.* upto.....all Government's rights under this bond/guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated the.....day of.....19

for.....(Bank).

Accepted for and on behalf of the President of
India by Shri .....
(Name and designation)

Signature Signature.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date upto which the Letter of Credit is required to be kept valid

NOTE—The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE IV

FOR PRIVATE SECTOR IMPORTERS

No.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

_____

(Indian Importers' Bank)

SUBJECT :—*Import under Twelfth Yen Credit—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit—Import Licence*——————*dated*——————

Dear Sirs,

With reference to our Bank guarantee No.——————dated—————— and letter No——————dated——————from M/s.——————(Importer) in which they have requested permission for opening a Letter of Credit through your Bank under the Twelfth Yen Credit, I am to enclose the Department of Economic Affairs Letter of Authority (form attached as Appendix I to this Annexure IV) No.——————dated ——————issued to the Bank of India, Tokyo (with one spare copy) authorising them to arrange payments upto Yen——————to the Japanese suppliers. This Letter of authority should be sent by you to the Bank of India, Tokyo Branch alongwith the Letter of Credit opened by you.

2. You are hereby authorised to open the Letter of Credit for an amount not exceeding Yen——————within a period of *thirty* days from the date of this letter under intimation to this Department. In terms of para 10, Section VII of Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 45 days after the final date for shipment as stated in the relative import licence or the date indicated in the Letter of Authority whichever is earlier. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importers are in possession of valid Import Licence.

3. The Letter of Credit opened by you will incorporate a clause that it will be effective only after it has been confirmed by Bank of India, Tokyo. The Letter of Credit will, therefore have to be routed through that Bank requesting them to add their confirmation to the effect that they undertake to pay on presentation of documents in terms of the XII Yen Credit. Bank of India, Tokyo, will forward the Letter of Credit after adding its confirmation to the Japanese Supplier through the Japanese Sponsoring Bank, which will be indicated by the Japanese Exim Bank.

4. The amount of the Letter of Credit should not exceed without a specific authorisation from this Ministry.

5. The Banking and interest charges of the Bank of India, Tokyo, including the banking charges of the Japanese Sponsoring Bank which will be initially paid by the Bank of India Tokyo, will on demand be remitted by you direct to the Bank of India, Tokyo, through the normal banking channels.

6. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalents of the Yen payments the Japanese suppliers in terms of the Guarantee furnished by you, within 10 days of the receipt of documents from the Bank of India Tokyo. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to suppliers in accordance with the Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72 as amended by Public Notice No. 108-ITC (PN)/72 dated 21-7-72 or such other Public Notices, which may be issued from time to time. Interest at the rate of 6 per cent p. a. for the period betwen the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are to be depsited into Government account will also have to be credited along will the above amount to the Government of India's account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). *It will be your responsibility to arrange for the DEPOSIT OF THESE AMOUNTS correctly before the import documents are HANDED over to the importer.*

7. These amounts should be deposited either with the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a demand draft obtained by you from any Branch of the State Bank of India or its subsidiaries (drawer, drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari, Branch Delhi-6 (drawee & payee

In this connection your attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 184-ITC (PN)/68 dated 30-8-68 and No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-71. The Head of Account to be credited is "T-Deposits and Advances—Part II—Deposits not bearing interest—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad under Direct Payment Procedure " under the detailed head " Deposit for cost of suppliers and equipment obtained under Twelfth Yen Credit".

8. One copy of the challan in original in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, as prescribed in Public Notice No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-71, should be sent by you to the address given below alongwith a forwarding letter giving deposit and citing reference to this communication:—

The Controller of Aid Accounts,
Ministry of Finance (Department of Economic Affairs),
2nd Floor, Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi-1.

In case where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice No. 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968, mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalent deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,
Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. M/s. _____ Importer _____ for information, with reference to their letter quoted above. A copy of the letter of authority is also enclosed.
2. Bank of Tokyo, for information and necessary action in terms of their Agreement with the Government of India dated 9-1-73.
3. Export Import Bank of Japan, Tokyo.
4. Embassy of India, Tokyo, for information.

APPENDIX I TO ANNEXURE IV

LETTER OF AUTHORITY NO.————————

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo, (Japan).

SUBJECT :—*Import under Twelfth Yen Credit—Issue of letter of authority for confirmation of Letter of Credit.*

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 9th January' 73 entered into with your Bank, we hereby authorise you to confirm the Letter of Credit to be opend by (*Indian Bank*) favouring *Japanese Supplier* for Yen————————————covering the import of————————————against contract entered into by (*Indian Importer*), to be forwarded to the beneficiary through (*Japanese Sponsoring Bank*) AND to pay the amount under the said Letter of Credit together with charges of the Sponsoring Japanese Bank, on presentation of the requisite documents, thereunder.

2. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to (*Indian Bank*) alongwith a payment advice and you must claim immediately reimbursement of the amounts paid by furnishing necessary documents to the Exim Bank of Japan/participating City Banks. As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

3. Your banking charges including the banking charges of the Japanese Sponsoring Bank initially paid by you and interest charges under the above Letter of Credit will be settled directly with you by the (*Indian Bank*).

4. This authority will remain valid upto the———————————

Yours faithfully,
Accounts Officer.

ANNEXURE V

FORM OF APPLICATION FOR RELEASE OF BANK GUARANTEE

To

The Controller of Aid Accounts,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
10, Parliament Street,
New Delhi-1.

Sir,

We are furnishng below detailed information on the rupee deposits made by us in discharge of our obligations under Bank Guarantee No.———————dated———————for an amount of Rs———————————with the request that the same may be released and returned to us.

1. The name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.

2. The import licence No. date, value, brief description of equipment and/or commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) for opening Letters of Credit obtained from the Ministry of Finance (to be given separately for each letter of authorisation).

(*a*) Letter No. and date.
(*b*) Amount of authorisation.
(*c*) Japanese Yen Credit No.

4. Particulars of imports and rupee deposits made (to be given separately for each Letter of Credit authorisation).

(*a*) Particulars of Letters of Credit opened (No., date, value, the supplier's name)
(*b*) Invoice No. and date relative to each Letter of Credit.
(*c*) Amount of invoice (net) in Yen.
(*d*) Amount of Rupee deposit.
(*e*) Relative challan No. and date and the name of Treasury/Bank.
(*f*) If by demand draft, No. and date of the demand draft and No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (Yen) in each Letter of Credit Authorisation.

II. We certify that :—

(1) *The balance amount of Yen———————————available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

OR

No letter of credit was opened under the authorisation(s) and the authorisation(s) lapsed.

OR

The letter of credit was opened against the authorisation letter(s) expired unutilised, and

(2) Our obligations under the bank guarantee in question have been duly discharged.

III. We confirm that the interest and banking charges of the Bank of India, Tokyo including the banking charges of the Japanese Sponsoring Bank relative to this transaction have been remitted by us to the Bank of India, Tokyo.

IV. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,
Authorised Agent for and on behalf of the Bank.

*whichever is applicable.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1973

विषय :—"बारहवें येन क्रेडिट" के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारी आयातों और निजी क्षेत्र आयातों के लिये लाइसेंस शर्तें ।

संख्या 54—आ० टी० सो० (पी एन)/73.—जापान से (बारहवें) येन क्रेडिट के लिये सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारी आयातों और निजी क्षेत्र आयातों के लिए लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 तथा 2 में दी गई हैं, वे व्यापारी की जानकारी के लिये अधिसूचित की जाती हैं ।

परिशिष्ट—1

बारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान तथा सरकारी विभागों द्वारा आयातों के लिये लाइसेंस शर्तें

खंड—1 सामान्य शर्तें :

1(1) लाइसेंस का शीर्षक "जापानी 12 येन क्रेडिट" होगा और उस पर यह भी संकेत होगा कि वह क्रेडिट के परियोजना अथवा गैर-परियोजन सेग्मेंट से सम्बन्धित है । प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिये लाइसेंस कोड "एस/जेएन" होगा ।

1(2) जापान में बैंक प्रभारों के अतिरिक्त जो सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से प्रेषण किए जा सकते हैं, किसी भी विदेशी मुद्रा का प्रेषण आयात लाइसेंस के लिये स्वीकार्य नहीं होगा । भारतीय अभिकर्त्ता संबंधी कोई भी भुगतान भारत स्थित अभिकर्त्ताओं का भारतीय मुद्रा में ही किया जाना चाहिये । लेकिन, इस प्रकार के भुगतान लाइसेंस मूल्य के अंश होंगे, और ये इसलिये लाइसेंस के लिये लिये जायेंगे ।

1(3) आयात लाइसेंस लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर प्रारम्भिक चार माह की अवधि के लिये और पोतलदान को पूरा करने के लिये 12 माह की अवधि के लिये जारी किये जायेंगे । आयात लाइसेंस की प्राप्ति के पश्चात् आयातक को चाहिये कि वह आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसके ब्यौरे के बारे में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू ई—1 अनुभाग को सूचना दें ।

1(4) पक्के आदेश लागत तथा भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से चार माह के भीतर ही जापानी संभरकों को अवश्य दे दिये जाने चाहिये । 1-9-1973 के बाद जारी किये गये आयात लाइसेंसों के सम्बन्ध में संविदा कार्य के लिये स्वीकृत अवधि उपयुक्त रूप से घटाई जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदा कार्य 1—1—1974 के बाद नहीं किया जाता है । संविदा का मूल्य येन (येन अंश को नहीं दिखाना चाहिये) में अभिव्यक्त किया जाना चाहिये और इसमें भारतीय अभिकर्ता

का कमीशन शामिल नहीं करना चाहिये और इसे भारतीय रुपये में अदा किया जाना चाहिये। जहाज पर निशुल्क कीमत तथा भाड़ा की धनराशि को अलग अलग दर्शाया जाना चाहिये। 4 माह के भीतर संविदा जारी करने की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं माना जायेगा जब तक कि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 4 माह के भीतर सम्पूर्ण संविदा दस्तावेज वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग को नहीं पहुंचा जाते हैं। यदि आदेश वैध कारणों से चार महीने के भीतर नहीं दिये जा सकते हैं तो आदेश देने के कार्य हेतु पुनर्वीकरण के लिये लाइसेंस, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात को प्रस्तुत किये जाने चाहियें और इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिये। कि आदेश 4 महीने की अवधि के दौरान क्यों नहीं दिया जा सके। इस प्रकार के आवेदन-पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा आर्थिक कार्यविभाग के साथ परामर्श कर पात्रता के आधार पर विचार किया जायेगा और यदि वे स्वीकार कर लिये जाते हैं तो आदेश देने के लिये लाइसेंसों को और आगे 3 माह की अवधि तक पुनः वैध किया जायेगा।

1(5) लाइसेंस अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर सभी भुगतान पूरे कर दिये जाने चाहिये। अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोत लदान पर ही की जानी चाहिये। संविदा में नकद के आधार पर अर्थात् पोत-लदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर भुगतान करने की व्यवस्था होनी चाहिये। भारतीय आयातक द्वारा जापानी संभरक से किसी भी प्रकार की साख सुविधा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गैर-परियोजना तथा परियोजना सेग्मेंट के अन्तर्गत संविदाओं में माल संभरण के लिये इस प्रकार की अवधि की व्यवस्था होनी चाहिये :—

"साखपत्र की पावती के ..... महीनों के बाद लेकिन, अधिक से अधिक ..... के अन्त तक पूरा किया जाना।"

पोत लदान की अन्तिम तिथि का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह गैर-परियोजना सेग्मेंट के मामले में 31–12–74 तथा परियोजना सेग्मेंट के मामले में 31–12–75 के बाद की तिथि नहीं होगी।

खण्ड—2 : संविदा करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :

2(1) जापानी संभरकों को भुगतान की व्यवस्था, जापानी बारहवें येन के क्रेडिट के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा उनके नाम में खोले जाने वाले अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से की जानी चाहिये जिसके ब्यौरे नीचे के खंड 5 में दिये गये हैं।

2(2) आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिये केवल एक संविदा की जानी चाहिये। खास-खास मामलों में, दो संविदाओं की अनुमति दी जा सकती है किन्तु इसके लिये आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से एक महीने के अन्दर ही आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिये।

2(3) बारहवें येन क्रेडिट के गैर-परियोजना सेग्मेंट के अन्तर्गत की जाने वाली किसी भी एक संविदा का मूल्य येन 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिये। केवल दो श्रेणियों को

छोड़कर जैसे कि नीचे प्रत्येक के सामने संकेतित हैं, कम मूल्य के लिये आवेदन किया जा सकता है :—

श्रेणी	धनराशि
(1) भारत-जापान संयुक्त उद्यम . . .	येन 20 लाख
(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की संविदायें (एन० एस० आई० सी०)	येन 20 लाख

बारहवें येन क्रेडिट की परियोजना सेग्मेंट के लिये प्रत्येक संविदा का मूल्य 3 करोड़ से कम नहीं होना चाहिये ।

खण्ड—3 : संविदाओं में सम्मिलित की जाने वाली विशेष बातें :

3(1) संविदा में इस सम्बन्ध में एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिये कि संविदा की व्यवस्था बारहवें येन क्रेडिट से सम्बन्धित भारत सरकार तथा जापानी एग्जिम बैंक के बीच दिनांक 2 फरवरी, 1973 को हुये ऋण करार के अनुसार की जायेगी और यह इसके अधीन होगी कि यह भारत सरकार तथा जापानी एग्जिम बैंक के अनुमोदन पर ही बारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिये प्रभावी की जाएगी ।

3(2) संविदा में इस सम्बन्ध में एक विशेष वाक्यांश यह जोड़ दिया जाना चाहिए कि जापानी संभरक भारत के राजदूतावास, टोकियो के साथ परामर्श करने पर पोतलदान व्यवस्था करने के लिए राजी होगा और यह कि वह इस प्रयोजन के लिए भारत के राजदूतावास, टोकियो को सम्बद्ध माल की नियमित सुपुर्दगी के बारे में अवगत कराता रहेगा और भारत के राजदूतावास को कम से कम 4 सप्ताह पूर्व अपेक्षित पोतलदान की सूचना देगा ताकि उपयुक्त व्यवस्थाएं की जा सकें । खास-खास मामलों में, जहां भारतीय आयातक इसे आवश्यक समझें, तो इस सूचना की अवधि को घटाया जा सकता है । जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के बाद आयातक को आवश्यक ब्योरों के साथ एक परामर्श तार भेजने पर भी सहमत होना चाहिए और इसकी एक प्रति भारत के राजदूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

3(3) संविदा में इस सम्बन्ध में भी एक विशेष वाक्यांश यह जोड़ दिया जाना चाहिए कि जापानी संभरक येन क्रेडिट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऐसी जानकारी तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए राजी होगा जिसे एक तरफ तो भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए और दूसरी तरफ जापानी एग्जिम बैंक/भागीदार जापानी बैंकों द्वारा ।

खण्ड—4 : एग्जिम बैंक द्वारा संविदा-अनुमोदन :

4(1) संविदाएं जारी करने के 15 दिनों के भीतर ही लाइससधारी को चाहिए कि वह सम्बद्ध वैध लाइसेंस की एक फोटो प्रति अथवा साक्ष्यांकित प्रति के साथ जापानी संभरक के साथ की

गई तथा दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की चार प्रतियों को और इस के साथ निम्नलिखित ब्योरों को दर्शाते हुए एक विवरण की चार प्रतियों को आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली को भेजें :—

(क) भारतीय आयातक का नाम, डाक तथा तार का पता।

(ख) जापानी संभरक का नाम तथा पता।

(ग) भारत में आयातक के बैंक का नाम तथा पता। यह स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में से कोई भी एक शाखा होनी चाहिए।

(घ) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तथा भाड़ा प्रभारों को अलग से संकेतित करते हुए विनिमय की मिली-जुली दर पर परिवर्तित जापानी येन तथा भारतीय रुपये में संविदा का मूल्य।

(ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण।

(च) इस संविदा के अन्तर्गत किए जाने वाले भुगतानों की संभावित तारीख तथा धनराशि को संकेतित करते हुए एक अनुसूची (उन परिकल्पनाओं का भी संकेत किया जाना चाहिए जिन पर अनुसूची आधारित है)।

(छ) आयात लाइसेंस की सं० तथा दिनांक।

(ज) यदि परियोजना भारत–जापान उद्यम की है, तो उसका संकेत कीजिए। यदि ऐसा है तो सहयोग करार के निम्नलिखित विवरणों को चाहे वे आर्थिक हों या तकनीकी, यदि सहयोग करार अभी भी वैध है, तो स्पष्टरूप में संकेतित करते हुए एक नोट में दिया जाना चाहिए :—

(1) जापानी सहयोगकर्त्ता का नाम तथा पता।

(2) सहयोग करार का दिनांक।

(3) तैयार की जाने वाली मद।

(4) सहयोग किस प्रकार का है।

(5) सहयोग कब तक वैध है।

(6) अन्य कोई सूचना।

4(2) परियोजना सेग्मेंट के अन्तर्गत आबंटनों के मामले में संविदा के लिए जापानी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अलावा, आबंटन के लिए उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संविदा की प्रतियों के साथ अतिरिक्त जानकारी (4 प्रतियां अनुबन्ध–1 के रूप में) भेजी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में आयातक को विदेशी मुद्रा के उपयोग के बारे में पूर्ववर्ती 6 मास की अवधि से संबंधित प्रत्येक वर्ष के जनवरी तथा जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में एक प्रगति रिपोर्ट भी (तीन प्रतियों में) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग को भेजनी आवश्यक है।

4(3) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू ई–1 अनुभाग संविदा की प्रतियों को जापानी एग्जिम बैंक को (भारत के राजदूतावास, टोकियो के माध्यम से) बारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्त दान हेतु उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(4) जापानी एग्जिम बैंक से संविदा अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी को इस के बारे में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा जो दस्तावेजों के एक सेट को सहायता लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्यविभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट को भी प्रेषित करेगा । (जापानी एग्जिम बैंक अपने संविदा अनुमोदन सूचना की एक प्रति बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भेजेगा) ।

खंड–5 : जापानी संभरकों के लिए भुगतान—साखपत्र प्रक्रिया :

5(1) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग द्वारा संविदा अनुमोदन सूचना पत्र के जारी करने के 3 सप्ताह के भीतर ही लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह प्राधिकरण पत्र के लिए जो सम्बद्ध जापानी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए बैंक आफ इंडिया की टोकियो शाखा के नाम में भेजा जाना है, सहायता लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद सुविधा हेतु सी ए ए की संज्ञा दी गई है) को आवेदन करे । (यह जान लेना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र आयातों के मामले में साखपत्रक केवल बैंक आफ इंडिया, टोकियो के माध्यम से ही खोलने होंगे) ।

5(2) यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो सी ए ए, बैंक आफ इंडिया, टोकियो (अनुबन्ध–2 के अनुसार) को एक प्राधिकार-पत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति जापानी एग्जिम बैंक, टोकियो, भारत के राजदूतावास टोकियो को तथा भारत में सम्बद्ध बैंक (उपर्युक्त खंड 4 में निर्देशित) को प्रेषित करेगा । प्राधिकार पत्र की पावती पर बैंक आफ इंडिया, टोकियो सम्बद्ध जापानी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र स्थापित करेगा और मूल साखपत्र को (इसकी एक प्रति के साथ) जापानी प्रायोजक बैंक (जिसे जापानी एग्जिम बैंक द्वारा उनकी संविदा अनुमोदन सूचना पत्र में मनोनीत किया जाएगा) को यह निवेदन करते हुए भेजेगा कि वह उस मूल साखपत्र को सम्बद्ध जापानी संभरक को सौंप दे । बैंक आफ इंडिया, टोकियो साखपत्र की एक प्रति को एग्जिम बैंक, टोकियो, भारत का राजदूतावास, टोकियो, भारत में सम्बद्ध बैंक तथा सी ए ए को भी भेजेगा । सी ए ए द्वारा साख पत्र के आधार पर संविदा अनुमोदन तथा साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि प्रत्येक संविदा संशोधन तथा प्राधिकार पत्र/साखपत्र के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अनुरूप संशोधन के लिए लागू होगी ।

5(3) माल के पोतलदान को प्रभावी करने के बाद जापानी संभरक साखपत्र में विशिष्टिकृत दस्तावेजों को जापानी प्रायोजक बैंक को प्रस्तुत करेगा । बाद वाला दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा और सम्बद्ध मसौदे को पृष्ठांकन करने के बाद इन्हें भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाये जाते हैं तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो जापानी संभरकों के बारे में भुगतान के लिए जापानी प्रायोजक बैंक को प्रलेखों में विशिष्टिकृत धन-राशि को मुक्त करेगा । बैंक आफ इंडिया, टोकियो भी जापानी प्रायोजक बैंक को उनके बैंक प्रभारों का भुगतान करेगा जो अभी बीजक मूल्य के 1 प्रतिशत का 1/20 वां है । उसके बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो जापानी एग्जिम बैंक से आयात की कीमत की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा ।

5(4) जहां तक साख पत्र खोलने, उसके अन्तर्गत समझौते आदि के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को चुकाने योग्य बैंकिंग प्रभारों का सम्बन्ध है, जापानी प्रायोजक बैंक के बैंकिंग प्रभार

जो प्रारंभिक रूप में बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा चुकाए जाते हैं और जापानी प्रायोजक बैंक को बैंक आफ इंडिया द्वारा आयातों की कीमत के भुगतान की तारीख से गणना की जाने वाली अवधि से जापानी एग्जिम बैंक से प्रतिपूर्ति की तारीख तक के लिए ब्याज प्रभार चुकाए जाते हैं, तो इन प्रभारों को भारत के लेखों को बिना प्रभावित किए ही सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से भारत में सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए ।

खंड—6 रुपया जमा करने की जिम्मेदारी :

6(1) मूल पोतलदान प्रलेखों को अपरिवर्तनीय रूप में बैंक आफ इंडिया टोकियो, द्वारा टोकियो, द्वारा भारत में सम्बन्धित बैंक को जो भारत के स्टेट बैंक की या राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक की शाखों होगी (जैसा कि ऊपर की कंडिका 4(1) (सी) में उल्लिखित है) अग्रसारित किया जाएगा जिन्हें सम्बद्ध सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना को प्रलेखों के इन पर-क्राम्य सेटों को केवल यह सुनिश्चय करने के बाद मुक्त करना चाहिए कि जापानी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपये को तथा उसके साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा जापानी प्रायोजक बैंक/जापानी संभरक को किए गए भुगतान की तारीख से रुपये जमा करने की तारीख तक के लिए 6 प्रतिशत की दर से उस पर परिकलित ब्याज भी भारत सरकार के लेखे में जमा कर दिया गया है । येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना के लिए अपनाई जाने वाली मुद्रा दर मुद्रा की मिली-जुली दर होगी जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना संख्या : 108—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21-7-72 में निर्धारित है या सरकार द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना द्वारा या भारत के रिजर्व बैंक के मुद्रा नियंत्रण परिपत्रों द्वारा समय-समय पर अधि-सूचित किए गए के अनुसार हो सकती है । जिस लेखा शीर्ष के लिए उपर्युक्त रुपया जमा किया जाना चाहिए वह इस प्रकार है— 'टि—डिपोजिट्स एंड एडवांसेज—पार्ट 2 डिपोजिट्स नॉट बियरिंग इन्टरेस्ट—सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेज एन्ड अन्डर डाइरेक्ट पेमेंट प्रामिजर अन्डर फारेन लोन/क्रेडिट्स' विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत— 'डिपोजिट्स फार कास्ट आफ एक्विपमेंट ईटीसी आब्टेन्ड अन्डर दि ट्वेल्फ्थ येन क्रेडिट फ्राम जापान ।'

6(2) उपर्युक्त धनराशि को भारत सरकार के खाते में या तो भारत के रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या भारत के स्टेट बैंक, दिल्ली में जमा किया जाना चाहिए । यदि यह संभव नहीं हो तो इसे डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए जो भारत के स्टेट बैंक की किसी शाखा या उसके सहायकों (आदेशक) से उपलब्ध हो सकता है और सार्वजनिक सूचना संख्या : 184—आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30—8—68, संख्या : 233—आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24—10—68 तथा संख्या : 132—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5—10—71 में यथा निर्धारित भारत सरकार के लेखा क्रेडिट के लिए भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी शाखा, दिल्ली—6(आदेशिती और पावक) के नाम में निकालने के लिए जमा करना चाहिए ।

6(3) भारत का सम्बद्ध बैंक ऐसे ही अतिरिक्त निक्षेप को भी उसी प्रकार भजेगा जैसाकि ऊपर निर्धारित हैं जिससे भारत सरकार सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकती हैं और सरकार द्वारा मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर इसे भेजा जाना चाहिए । चालान

के विभिन्न कालमों को भरा जा रहा हो तब इस बात का निश्चय आयातकों/उनके बैंकरों द्वारा किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या : 132–आई टी सी (पी एन)/ 71, दिनांक 5-10-71 की कंडिका 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "प्रेषण का पूरा ब्यौरा तथा प्राधिकारी (यदि कोई हो)" में अपरिवर्तनीय रूप से संकेतित है । उसके बाद रुपया निक्षेप को साक्ष्यांकित करते हुए राजकोष चालान को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सी ए ए को भेजा जाना चाहिए और उसमें उसके द्वारा जारी किए प्राधिकरण-पत्र के संदर्भ का संकेत किया जाना चाहिए और उसमें बीजक तथा पोतलदान प्रलेखों की प्रति भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए ।

6(4) भारत में संबद्ध बैंक को लाइसेंस की मुद्रा नियंत्रण प्रति में रुपये में निक्षेपों की धन-राशि को भी पृष्ठांकित करना चाहिए तथा आवश्यक "एस" प्रपत्र को भारत के रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए ।

6(5) केन्द्रीय/राज्य सरकारों (राज यविद्युत बोर्ड आदि सहित) के विभागों द्वारा किए गए आयातों के मामले में मूल पोतलधान प्रलेख जिनको बैंक के माध्यम से भेजना आवश्यक नहीं है, बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा उन्हें सीधे ही सम्बन्ध विभागों को भेजा जाना चाहिए । आयातों की कीमत के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो उनके अपने साधनों से प्रारम्भिक रूप में भुगतान करेगा और उसके लिए प्रतिपूर्ति जापान एग्जिम बैंक से उसी विधि से करेगा–जैसा कि ऊपर की कंडिका 5(3) में निर्धारित है । अपने खुद के बैंकिंग प्रभारों के लिए तथा जापानी प्रायोजक बैंक के बैंकिंग प्रभारों के लिए जो प्रारंभिक रूप में उनके द्वारा चुकाया जाएगा बैंक आफ इंडिया, टोकियो भारत का राजदूतावास, टोकियो से प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा । बैंक आफ इन्डिया, टोकियो को क्रमश: जापानी एग्जिम बैंक तथा भारत का राजदूतावास, टोकियो द्वारा जैसाकि ऊपर उल्लिखित है, की गई प्रतिपूर्ति के ब्यौरे की प्राप्ति होने पर सी ए ए महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के माध्यम से सम्बन्धित महालेखा पाल के मद्दे येन धनराशि के समतुल्य के लिए नामे लिखेगा ।

नोट : यह प्रक्रिया हिन्दुस्तान स्टील लि० के मामले में भी लागू होगी क्योंकि वे महा-लेखापाल, बिहरा के पास आवती निक्षेप लेखा रख रहे हैं जिनके लिए उसी प्रकार नामे लिखा जाएगा जैसा कि सरकारी विभागों के खरीदों के मामले में है ।

खड–7: विविध व्यवस्थाएं :

7(1) आयात लाइसेंस का उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट :

जब साख-पत्र खोल लिया गया हो उसके बाद पोतलदानों और उनके मद्दे किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में तथा बाकी रहे के विषय में आयातक को चाहिए कि नियंत्रक सहायतालेखा, अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को एक मासिक रिपोर्ट भेजे ।

7(2) विशेष शर्तों के अधिसूचित किए जाने वाले संभरक :

यदि सौदे को लाने में किसी प्रकार की विशेष व्यवस्थाएं आयात लाइसेंस में की गई हैं जिनका संभरकों पर प्रभाव पड़ सकता है, लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह संभरक को इसे बतादे ।

7(3) विवाद :

यह समझ लिया जाना चाहिए कि यदि कोई विवाद लाइसेंसधारी तथा संभरकों के बीच उठ खड़ा होता है तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

7(4) भविष्य के लिए अनुदेश :

आयात लाइसेंस के सम्बन्ध में और जापानी प्राधिकारियों के साथ बाहरवें येन क्रेडिट समझौते के अन्तर्गत, सभी प्रकारों के आभारों को पूरा करने से संबंधित किसी एक और सभी मामलों में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी प्रकार के निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का अनुपालन लाइसेंसधारी शीघ्र ही करेगा ।

7(5) तोड़ना या उल्लंघन करना :

उपर्युक्त अनुच्छेदों में निर्धारित शर्तों को किसी प्रकार से तोड़ने या उल्लंघन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी ।

7(6) अनुबन्धों की सूची :

अनुबन्ध—1 : परियोजना के अनुमोदन के लिए अतिरिक्त सूचना के लिए प्रारूप ।
अनुबन्ध—2 : प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र ।

अनुबन्ध—1

जिन परियोजनाओं में बारहवें येन क्रडिट (परियोजना भाग) के अन्तर्गत धन लगाया जाना है उनके सम्बन्ध में भेजी जाने वाली सूचना

i. वित्त अनुदान के लिये आवेदित धन राशि :

1. वित्त अनुदान के लिये आवेदित कुल परियोजना धन-राशि
2. वित्त अनुदान के लिये आवेदित संविदा धन-राशि

ii. उद्यम का विवरण :

1. नाम
2. स्थिति
3. संक्षिप्त इतिवृत्त
4. मुख्य मालिक या साझीदार और प्रबन्ध
5. तीन साल के लिये वित्तीय विवरण (सन्तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण)
6. कर्मचारियों की संख्या

iii. परियोजना का विवरण :

1. स्थिति (स्थान, क्षेत्र, आदि)
2. योजनाबद्ध क्षमता
3. परिवहन की सुविधाएं
4. विद्युत और पानी की आपूर्ति
5. कच्चे माल की आपूर्ति

6. श्रम शक्ति

7. संस्थापन कार्यक्रम

8. विपण्यता

9. प्रारम्भिक अवधि के दौरान और पूर्ण उत्पादन प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्याशित बिक्री की कीमत और मासिक व्यवसाय

10. पूंजी की आवश्यकता और वित्त दान

11. उप-ऋण समझौते की शर्तें

अनुबन्ध—2

सं० .....

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

सेवा में,

दि बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो, जापान ।

विषय । बारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत आयात साख-पत्र खोलने के लिये प्राधिकार-पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ दिनांक 9 जनवरी, 1973 को की गई संविदा के नियमों तथा शर्तों के ..... अनुसार आपको एतद्द्वारा संलग्न शर्तों के अनुसार .... के माध्यम से (प्रयोजक बैंक) सर्वश्री ..... के नाम में .... येन धनराशि तक के लिये अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।

आपके बैंक द्वारा खोले गये प्रत्येक साख-पत्र की एक प्रति आयातक के बैंक को एग्जिम बैंक, भारत का राज—दूतावास, टोकियो को तथा हमें पृष्ठांकित की जाये ।

साख-पत्र की शर्तों के अनुसार संभरकों के लिये प्रारम्भिक भुगतान आपकी अपनी निधि से किये जायेंगे । भुगतानों के पश्चात एग्जिम बैंक आफ जापान के लिये परिशिष्ट—1 में दिये गये अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर आपको शीघ्र ही अदा की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिये दावा करना चाहिये ।

आपके द्वारा संभरकों को किये गये भुगतान की तारीख तथा एग्जिम बैंक, जापान द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की तारीख के बीच अन्तराल के लिये आपको उपर्युक्त संविदा की शर्तों के

अनुसार आयातक के बैंक द्वारा सीधे ब्याज दिया जायेगा । अन्य बैंक प्रभार, जिसमें दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिये प्रभार भी शामिल है, यदि कोई हो, और जापानी प्रायोजक बैंक के लिये अदा किये जाने वाले प्रभार भी आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही निपटाये जायेंगें । इसलिये, जापान एग्जिमा बक से ऐसे प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिये किसी किस्म का दावा नहीं किया जाना है ।

जब और जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और आपको इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है तो निर्धारित प्रपत्र में इसकी सूचना इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिये ।

इस प्राधिकार पत्र का अभिप्राय जापानी संभरकों के नाम में एक साख-पत्र खोलने से है । साख-पत्र के लिये अनुवर्ती संशोधनों अथवा प्रस्तुत प्राधिकरण के मद् आगामी नये साख-पत्र इस मंत्रालय द्वारा एक विशष प्राधिकार के बिना प्रभावी नहीं किये जा सकते हैं ।

यह प्राधिकार पत्र ..... तक वैध रहेगा ।

भवदीय,

लेखाधिकारी

सरकारी विभागों को छोड़कर सार्वजनिक
क्षेत्र आयातों के लिये

प्रति प्रेषित :—

1. आयातक ..... को उनके पत्र संख्या ..... दिनांक ..... के संदर्भ में ।

2. आयातक के बैंकर ..... को । उनसे निवेदन किया जाता है कि वे बक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से दस्तावजों की पावती पर जापानी संभरकों को किए गये येन भुगतान के समतुल्य रुपये को जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के समतुल्य रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या :..... ..... दिनांक ..... में तथा समय समय पर जारी की जाने वाली अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचनाओं में संकेतिक परिवर्तन की प्रचलित दर के हिसाब से की जाएगी । संभरक को भुगतान की तारीख । बैंक आफ इंडिया को प्रतिपूर्ति की तारीख तथा सरकारी लेखे में समतूल्त रुपया जमा करने की तारीख के बीच की अवधि के लिये 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज को भी भारत सरकार के लेखा में जमा करना आवश्यक है । यह भली भांति जान लेना चाहिये कि इस प्रकार के निक्षप आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिये आयात दस्तावेजों के मूल सेट को सौंपने से पहले ही पूरे कर लिये जाते हैं ।

इस प्रकार की धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी, दिल्ली में जमा की जानी चाहिये और या उनके द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा अथवा उसकी सहायक शाखा (आदेणिती तथा पावक) द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी शाखा (आदेशिती तथा पावक) के लिये तथा उसे अदा की जाने वाली दर्शनी

हुंडी के माध्यम से किया जाना चाहिये । इस संदर्भ में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचनायें सं० 233–आई० टी० सी० (पी एन)/68 दिनांक 24–10–68 तथा संख्या 132–आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5–10–71 की ओर दिलाया जाता है । जिस लेख में निक्षेप किया जाना है उसका शीर्षक इस प्रकार होगा—"टि—डिपोजिटस एण्ड एडवान्सेज—पार्ट–2 डिपोजिट्स फार परचसिस एक्राड अन्डर डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर" अन्डर दि डिटल्ड हैड" डिपोजिट्स फार कास्ट आफ सप्लाइज एण्ड इक्विपमेंट आब्टेन्ड अन्डर टवेल्थ येन क्रडिट फ्राम जापान ।"

ऐसे मामलों में जहां समतुल्य रुपये को नकद में सार्वजनिक सूचना सं० 132—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5–10–71 में निर्धारित किये गये के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी दिल्ली में जमा किया जाता है तो उनके द्वारा मूल चालान की एक प्रति बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त परामर्श नोट के ब्यौरों को देते हुये एक अग्रषण-पत्र के साथ निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिये :—

सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वितीय मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 1 ।

ऐसे मामलों में, जहां समतुल्य रुपया उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 24–10–68 में निर्धारित डिमांड ड्राफ्टस के माध्यम से प्रषित किया जाता है तो उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिये । सभी मामलों में जमा किये गये समतुल्य रुपये और इसके साथ अदा की गई ब्याज की राशि और वह अवधि जिसके लिये ब्याज की गणना की गई है उसके पूरे ब्यौरे इस विभाग को भेजे जाने चाहिये ।

बैंक प्रभार, ब्याज और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य प्रभार, भारतीय बैंक तथा दि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के बीच सीधे निपटाये जाने चाहिये ।

3. जापान का निर्यात तथा आयात बैंक, टोकियो ।

4. भारत का राजदूतावास, टोकियो ।

लेखाअधिकारी

सरकारी विभागों की ओर से आयातों के लिए

प्रति प्रेषित :—

1. .....

(आयातक/प्रेषिती का नाम तथा पता)

यह जान लेना चाहिये कि येन भुगतान के समतुल्य रुपये के लिये विकलन, /ए० जी० सी० आर० के माध्यम से ..... के नाम में डाले जायेंगे ।

1. .....
(लेखा अधिकारी)

2. .....
(लेखा अधिकारी)

परिशिष्ट—2

बारहवें येन क्रैडिट के अन्तर्गत निजी क्षेत्र संस्थान तथा सरकारी विभागों द्वारा आयातों के लिए लाइसेंस शर्तें

खण्ड—1 : सामान्य शर्तें :

1(1) लाइसेंस का शीर्षक "जापानी 12 येन क्रैडिट" होगा और उस पर यह भी संकेत होगा कि वह क्रेडिट के परियोजना अथवा गैर-परियोजना सेग्मेंट से सम्बन्धित है। प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एस/जे एन" होगा ।

1(2) जापान में बैंक प्रभारों के अतिरिक्त जो सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से प्रेषण किए जा सकते हैं, किसी भी विदेशी मुद्रा का प्रेषण आयात लाइसेंस के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। भारतीय अभिकर्ता सम्बन्धी कोई भी भुगतान भारत स्थिति अभिकर्ताओं का भारतीय मुद्रा में ही किया जाना चाहिए। लेकिन, इस प्रकार के भुगतान लाइसेंस मूल्य के अंश होंगे, और ये इसलिए लाइसेंस के लिए लिये जाएंगे।

1(3) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर प्रारम्भिक चार माह की अवधि के लिए और पोतलदान को पूरा करने के लिए 12 माह की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। आयात लाइसेंस की प्राप्ति के पश्चात् आयातक को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसके ब्यौरों के बारे में वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्यविभाग डब्ल्यू ई–1 अनुभाग को सूचना दें।

1(4) पक्के आदेश लागत तथा भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से चार माह के भीतर ही जापानी संभरकों को अवश्य पछाट जाए चाहिए। 1–9–1973 के बाद जारी किए गए आयात लासेंसों के सम्बन्ध में संविदा कार्य के लिए स्वीकृत अवधि उपयुक्त रूप से घटाई जाएगी जिससे यह सुनिश्चय किया जा सके कि संविदा कार्य 1–1–1974 के बाद नहीं किया जाता है। संविदा का मूल्य येन (येन अंशकों नहीं दिखाना चाहिए) में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्त्ता का कमीशन शामिल नहीं करना चाहिए और यदि कोई हो तो इसे भारतीय रुपए में अदा किया जाना चाहिए और बीमा प्रभारों को भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए यदि बीमा भारतीय बीमाकर्त्ता के साथ किया जाता है तो ऐसी स्थिति में किश्त भारतीय रुपये में चुकाई जानी चाहिए। जहाज पर निःशुल्क, भाड़ा तथा बीमा तत्वों को अलग-अलग प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 4 माह के भीतर संविदा जारी करने की इस शर्त का तब तक अनपालन किया गया नहीं माना जाएगा जब तक कि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 4 माह के भीतर सम्पूर्ण संविदा-दस्तावेज वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि आदेश वैध कारणों से 4 महीने के भीतर नहीं दिए जा सकते हैं तो आदेश देने के कार्य हेतु पुर्नवेधीकरण के लिए लाइसेंस, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात को प्रस्तुत किए जाने चाहिए और इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश 4 महीने की अवधि के दौरान क्यों नहीं दिए जा सके। इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात द्वारा आर्थिक कार्य विभाग के साथ परामर्श कर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा और यदि वे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो आदेश देने के लिए लाइसेंसों को और आगे 3 माह की अवधि तक पर्नवैध किया जाएगा।

1(5) लाइसेंस अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर सभी भुगतान पूरे कर दिए जाने चाहिए। अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोत लदान पर ही की जानी चाहिए

संविदा में नकद के आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर भुगतान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय आयातक द्वारा जापानी संभरक से किसी भी प्रकार की साख सुविधा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गैर-परियोजना तथा परियोजना सेग्मेंट के अन्तर्गत संविदाओं में माल के सम्भरण के लिए इस प्रकार की अवधि की व्यवस्था होनी चाहिए :—

"साखपत्र की पावती के.....महीनों के बाद लेकिन अधिक से अधिक.....के अन्त तक पूरा किया जाना है।"

पोतलदान की अन्तिम तिथि का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह गैर-परियोजना सेग्मैट के मामले में 31—12—74 तथा परियोजना सेग्मेंट के मामले में 31-12-75 के बाद की तिथि नहीं होगी।

खण्ड—2 : संविदा करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :

2(1) जापानी संभरकों को भुगतान की व्यवस्था, जापानी बारहवें येन के क्रेडिट के अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा उनके नाम में खोले जाने वाले अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से की जानी चाहिए जिस के ब्यौरे नीचे के खण्ड पांच में दिए गए हैं।

2(2) आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए केवल एक संविदा की जानी चाहिए। खास-खास मामलों में, दो संविदाओं की अनुमति दी जा सकती है किन्तु इसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से एक महीने के अन्दर ही आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय की पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिए।

2(3) बारहवें येन क्रेडिट के गैर-परियोजना सेग्मेंट के अन्तर्गत की जाने वाली किसी भी एक संविदा का मल्य येन 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। केवल नीचे की श्रेणी को छोड़ कर जैसे कि नीचे के सामने संकेतित है, कम मूल्य के लिए आवेदन किया जा सकता है :—

श्रेणी	धन राशि
(1) भारत-जापान संयुक्त उद्यम	येन 20 लाख

बारहवें येन क्रेडिट की परियोजना सेग्मेंट के लिए प्रत्येक संविदा का मूल्य 3 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।

खण्ड—3 : संविदाओं में सम्मिलित की जाने वाली विशेष बातें :

3(1) संविदा में इस सम्बन्ध में एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए कि संविदा की व्यवस्था बारहवें येन क्रेडिट से सम्बन्धित भारत सरकार तथा जापानी एग्जिम बैंक के बीच दिनांक 2 फरवरी, 1973 को हुए ऋण करार के अनुसार की जाएगी और यह इसके अधीन होगी कि यह भारत सरकार तथा जापानी एग्जिम बैंक के अनुमोदन पर ही बारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए प्रभावी की जाएगी।

3(2) संविदा में इस सम्बन्ध में एक विशेष वाक्यांश यह शामिल कर लिया जाना चाहिए कि पोतलदान की व्यवस्था पूरी हो जाने के शीघ्र ही बाद बीजक तथा लदान-पत्र की एक-एक प्रति के साथ जापानी संभरक को चाहिए कि वह भारत का राजदूतावास, टोकियो को एक रिपोर्ट भेजे।

3(3) संविदा में इस सम्बन्ध में भी एक विशेष वाक्यांश यह जोड़ दिया जाना चाहिए कि जापानी सम्भरक येन क्रेडिट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऐसी जानकारी तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए राजी होगा जिसे एक तरफ तो भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए और दूसरी तरफ जापानी एग्जिम बैंक/भागीदार जापानी बैंकों द्वारा ।

खण्ड—4 : एग्जिम बैंक द्वारा संविदा-अनुमोदन :

4(1) संविदा जारी करने के 15 दिनों के भीतर ही लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह सम्बद्ध वैध आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति या सांक्ष्यांकित प्रति के साथ जापानी संभरक के साथ की गई संविदा की चार प्रतियों को जो दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित है, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग, अर्थकार्य विभाग वित्त मन्त्रालय, नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली को भेजें और इसके साथ विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत उस बैंक का एक वचन-पत्र (अनुबन्ध—1) भी देना चाहिए जिसके माध्यम से जापानी संभरक के नाम साख-पत्र खोला जाएगा । इसके अतिरिक्त, निम्न-लिखित को शामिल करते हुए चार प्रतियों में एक विवरण भी भेजना चाहिए :—

(क) भारतीय आयातक का नाम, डाक तथा तार का पता ।

(ख) जापानी संभरक का नाम तथा पता ।

(ग) भारत में आयातक के बैंक का नाम तथा पता । (यह वह बैंक होगा जो उपर्युक्त वचन-पत्र देगा) ।

(घ) जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य तथा भाड़ा और बीमा प्रभारों को अलग से संकेतित करते हुए विनिमय की मिली-जुली दर पर परिवर्तित जापानी येन तथा भारतीय रुपये में संविदा का मूल्य ।

(ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ।

(च) इस संविदा के अन्तर्गत किए जाने वाले भुगतानों की संभावित तारीख तथा धनराशि को संकेतित करते हुए एक अनुसूची (उन परिकल्पनाओं का भी संकेत किया जाना चाहिए जिन पर अनुसूची आधारित है) ।

(छ) आयात लाइसेंस की सं० तथा दिनांक ।

(ज) यदि परियोजना भारत–जापान उद्यम की है, तो उसका संकेत कीजिए । यदि ऐसा है तो सहयोग करार के निम्नलिखित विवरणों को चाहे वे आर्थिक हों या तकनीकी, यदि सहयोग करार अभी भी वैध हैं, तो स्पष्टरूप में संकेतित करते हुए एक नोट में दिया जाना चाहिए :—

(1) जापानी सहयोगकर्ता का नाम तथा पता ।

(2) सहयोग करार का दिनांक ।

(3) तैयार की जाने वाली मद ।

(4) सहयोग किस प्रकार का है ।

(5) सहयोग कब तक वैध है ।

(6) अन्य कोई सूचना ।

4(2) परियोजना सैग्मेंट के अन्तर्गत आवंटनों के मामले में संविदा के लिए जापानी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अलावा, आवंटन के लिए उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संविदा

की प्रतियों के साथ अतिरिक्त जानकारी (4 प्रतियां अनुबन्ध–1 के रूप में) भेजी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में आयातक को विदेशी मुद्रा के उपयोग के बारे में पूर्ववर्ती 6 मास की अवधि से संबंधित प्रत्येक वर्ष के जनवरी तथा जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में एक प्रगति रिपोर्ट भी (तीन प्रतियों में) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग को भेजनी आवश्यक है।

4(3) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग संविदा की प्रतियों को जापानी एग्जिम बैंक को (भारत के राजदूतावास, टोकियो के माध्यम से) बारहवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान हेतु उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(4) जापानी एग्जिम बैंक से संविदा अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी को इसके बारे में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1, अनुभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा जो दस्तावेजों के एक सेट को सहायता लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट को भी प्रेषित करेगा। (जापानी एग्जिम बैंक अपने संविदा अनुमोदन सूचना की एक प्रति बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भी भेजेगा)।

खंड–5 : जापानी संभरकों के लिए भुगतान—साखपत्र प्रक्रिया :

5(1) वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग से संविदा अनुमोदन सूचना पत्र जारी होने के 3 सप्ताह के भीतर आयातक को चाहिए कि वह अनुबन्ध–3 में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी के साथ उस भारतीय बैंक में शाख-पत्र खोलने के लिए नियंत्रक, सहायता लेखा, अर्थ कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, 10, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–1 (जिसे बाद में सुविधा के लिए सी ए ए के रूप में उल्लिखित किया गया) के साथ सम्पर्क स्थापित करें जिसने सम्बद्ध जापानी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए बैंक गारंटी दी है। (इसे जान लिया जाना चाहिए कि निजी क्षेत्र आयातों के सम्बन्ध में जापानी बैंकों को जारी किए साख-पत्रों को अपरिवर्तनीय रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भेजा जाना चाहिए जो इसकी पुष्टि करेगा)।

5(2) यदि आवेदन ठीक पाया जाता है तो सी ए ए बैंक आफ इन्डिया, टोकियो (अनुबन्ध–2 के अनुसार) एक-प्र को एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति जापानी एग्जिम बैंक, टोकियो, भारत का राजदूतावास, टोकियो तथा भारत के सम्बद्ध बैंक (उपर्युक्त खंड 4 सी) में उल्लिखित को पृष्ठांकित करेगा। प्राधिकार पत्र की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो सम्बद्ध जापानी संभरक के नाम में एक अपरिवर्तनीय शाख पत्र की स्थापना करेगा तथा मूल साखपत्र (उसकी प्रति के साथ) जो जापानी प्रायोजक बैंक (जो संविदा के लिए उनके अनुमोदन की सूचना में जापानी एग्जिम बैंक द्वारा नामोद्दिष्ट किया जाएगा) को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित करेगा कि मूल साख-पत्र को सम्बद्ध जापानी संभरक को सौंप दिया जाए। बैंक आफ इन्डिया, टोकियो भी साख-पत्र की प्रति एग्जिम बैंक टोकियो, भारत का राजदूतावास, टोकियो तथा भारत में सम्बद्ध बैंक और सी ए ए को अग्रसारित करेगा। सी ए ए द्वारा साख-पत्र के आधार पर संविदा अनुमोदन तथा साख-पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया प्रत्येक संविदा संशोधन तथा प्राधिकार-पत्र/साख-पत्र के लिए आवश्यक समझे जाने वाले तत्सम्बन्धी संशोधन के लिए लागू होगी।

5(3) माल के पोतलदान को प्रभावी करने के बाद जापानी संभरक साख-पत्र में विशिष्टिकृत दस्तावेजों को जापानी प्रायोजक बैंक को प्रस्तुत करेगा। बादवाला दस्तावेजों की संवीक्षा

करेगा और सम्बद्ध मसौदे को पृष्ठांकन करने के बाद इन्हें भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो जापानी संभरकों के बारे में भुगतान के लिए जापानी प्रायोजक बैंक को प्रलेखों में विनिष्टिकृत धन-राशि को मुक्त करेगा । बैंक आफ इंडिया, टोकियो भी जापानी प्रायोजक बैंक को उनके बैंक प्रभारों का भुगतान करेगा जो अभी बीजक मूल्य के 1 प्रतिशत का 1/20वां है । उसके बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो जापानी एग्जिम बैंक से आयात की कीमत की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा ।

5(4) जहां तक साख-पत्र खोलने, उसके अन्तर्गत समझौते आदि के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को चुकाने योग्य बैंकिंग प्रभारों का सम्बन्ध है, जापानी प्रायोजक बैंक के बैंकिंग प्रभार जो प्रारंभिक रूप में बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा चुकाए जाते हैं और जापानी प्रायोजक बैंक को बैंक आफ इंडिया द्वारा आयातों की कीमत के भुगतान की तारीख से गणना की जाने वाली अवधि से जापानी एग्जिम बैंक से प्रतिपूर्ति की तारीख तक के लिए ब्याज प्रभार चुकाए जाते हैं, तो इन प्रभारों को भारत के लेखों को बिना प्रभावित किए ही सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से भारत में सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए ।

खंड—6 : रुपया जमा करने की जिम्मेदारी :

6(1) बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा मूल पोतलदान प्रलेखों को अपरिवर्तनीय रूप में भारत में संबद्ध बैंक को अग्रसारित किया जाएगा जिन्हें प्रलेखों के परक्राम्य सेट को लाइसेंस-धारी को केवल तभी लौटा जाना चाहिए जब इसका सुनिश्चय कर लिया जाए कि जापानी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपये को तथा उसके साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा जापानी प्रायेजक बैंक/जापानी संभरक को किए गए भुगतान की तारीख से रुपये जमा करने की तारीख तक के लिए 6 प्रतिशत की दर से उस पर परिकलित ब्याज भी भारत सरकार के लेखे में जमा कर दिया गया है । येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना के लिए अपनाई जाने वाली मुद्रा दर मुद्रा की मिली-जुली दर होगी जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना संख्या : 108—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21—7—72 में निर्धारित है या सरकार द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना द्वारा या भारत के रिजर्व बैंक के मुद्रा नियंत्रण परिपत्रों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए के अनुसार हो सकती है । जिस लेखा शीर्ष के लिए उपर्युक्त रुपया जमा किया जाना चाहिए वह इस प्रकार है—"टि—डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेज—पार्ट II डिपोजिट्स नॉट बियरिंग इन्टरेस्ट—सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेज एन्नाय अन्डर डायरेक्ट पेमेंट प्राविजर अन्डर फारेन लोन/क्रेडिट्स" विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत—"डिपोजिट्स फार कास्ट आफ एक्विपमेंट ई टी सी आब्टेन्ड अन्डर दि ट्वेल्फ्थ येन क्रेडिट फ्राम जापान ।"

6(2) उपर्युक्त धनराशि को भारत सरकार के खाते में या तो भारत के रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या भारत के स्टेट बैंक, दिल्ली में जमा किया जाना चाहिए । यदि यह संभव नहीं हो तो इसे डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए जो भारत के स्टेट बैंक की किसी शाखा या उसके सहायकों (आदेशक) से उपलब्ध हो सकता है और सार्वजनिक सूचना संख्या : 184—आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30—8—68, संख्या 233—आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24—10—68 तथा संख्या 132—आई टी सी)/(पी एन)

71, दिनांक 5-10-71 में यथा निर्धारित भारत सरकार के लेखा क्रेडिट के लिए भारत के स्टेट बैंक, तीस रजारी शाखा, दिल्ली—6 (आदेशिती और पावक) के नाम में निकालने के लिए जमा करना चाहिए ।

6(3) भारत का सम्बद्ध बैंक ऐसे ही अतिरिक्त निक्षेप को भी उसी प्रकार भेजेगा जसाकि ऊपर निर्धारित है जिससे भारत सरकार सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकती है और सरकार द्वारा मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर इसे भेजा जाना चाहिए । चालन के विभिन्न कालमों को भरा जा रहा हो तब इस बात का निश्चय आयातकों/उनके बैंकरों द्वारा किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या : 132—आई टी सी (पी एन)/ 71, दिनांक 5-10-71 की कंडिका 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "प्रेषण का पूरा ब्यौरा तथा प्राधिकारी (यदि कोई हो)" में अपरिवर्तनीय रूप से संकेतित है । उसके बाद रुपया निक्षेप को साक्ष्यांकित करते हुए राजकोष चालन को रिजस्टर्ड डाक द्वारा सी ए ए को भेजा जाना चाहिए और उसमें उसके द्वारा जारी किए प्राधिकरण-पत्र के संदर्भ का संकेत किया जाना चाहिए और उसमें बीजक तथा पोतलदान प्रलेखों की प्रति पृष्ठांकित की जानी चाहिए ।

6(4) भारत में संबद्ध बैंक को लाइसेंस की मुद्रा नियंत्रण प्रति में रुपये में निक्षेपों की धन-राशि को भी पृष्ठांकित करना चाहिए तथा आवश्यक "एम" प्रपत्र को भारत के रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए ।

6(5) वित्त मंत्रालय के सी ए द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार आभारों को पूरे किए जाने के बाद भारत में सम्बद्ध बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सी ए को आवेदन कर सकता है । इस उद्देश्य के लिए आवेदन अवश्य ही अनुबन्ध 5 में निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए ।

खंड—7 : विधि व्यवस्थाएं :

7(1) आयात लाइसेंस का उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट :

जब साख-पत्र खोल लिया गया हो उसके बाद पोतलदानों और उनके मद्दे किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में तथा बाकी रहे के विषय में आयातक को चाहिए कि नियंत्रक सहायतालेखा, अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को एक मासिक रिपोर्ट भेजें ।

7(2) विशेष शर्तों के अधिसूचित किए जाने वाले संभरक :

यदि सौदे को लाने में किसी प्रकार की विशेष व्यवस्थाएं आयात लाइसेंस में की गई है जिनका संभरकों पर प्रभाव पड़ सकता है, लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह संभरक को इसे बतादे ।

7(3) विवाद :

यह समझ लिया जाना चाहिए कि यदि कोई विवाद लाइसेंसधारी तथा संभरकों के बीच उठ खड़ा होता है तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

7(4) भविष्य के लिए अनुदेश :

आयात लाइसेंस के संम्बन्ध में और जापानी प्राधिकारियों के साथ बारहवें येन क्रेडिट समझौते के अन्तर्गत सभी प्रकारों के आभारों को पूरा करने में संबंधित किसी एक और सभी मामलों में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी प्रकार के निदेशों, अनुदेशों, या आदेशों का अनुपालन लाइसेंसधारी शीघ्र ही करेगा ।

7(5) तोड़ना या उल्लंघन करना :

उपर्युक्त अनुच्छेदों में निर्धारित शर्तों को किसी प्रकार से तोड़ने या उल्लंघन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी ।

7(6) अनुबन्ध की सूकची :

अनुबन्ध–1 : बैंक के वचन-पत्र का प्रारूप ।

अनुबन्ध–2 : परियोजना के अनुमोदन के लिए अतिरिक्त सूचना के लिए प्रारूप ।

अनुबन्ध–3 : बैंक गारंटी का प्रपत्र ।

अनुबन्ध–4 : प्राधिकार पत्र का प्रपत्र ।

अनुबन्ध –5 : बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र ।

अनुबन्ध--1

बैंक से वचत-पत्र

सचिव,

वित्त मंत्रालय ,
आर्थिक कार्य विभाग ,
नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली ।

विषय :—बारहवें येन क्रेडिट के अधीन जापान से मल का आयात.....

सर्वश्री.....को रु० के लिए

जारी किया गया आयात लाइसेंस सं० दिनांक

प्रिय महोदय,

आपसे संविदा अनुमोदन की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर हम बारहवें येन क्रेडिट से संबंधित लाइसेंस-शर्तों के खंड 5 में परिकल्पित बैंक गारंटी आपको भेजने का एतद्द्वारा वचन देते है ।

2. आपसे प्राधिकरण प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर हम प्राधिकृत धन राशि के पूर्ण मूल्य के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो के माध्यम से जापानी संभरक के पक्ष में अपेक्षित साख पत्र खोलने और उसकी एक प्रतिलिपि आपको भेजने का भी वचन देते है ।

भवदीय

अनुबन्ध–2

जिन परियोजनाओं में बारहवें येन क्रेडिट (परियोजना भाग) के अंतर्गत धन लगाया जाना है उनके संबंध में भेजी जाने वाली सूचना

1. वित्त अनुदान के लिए आवेदित धन राशि

1. वित्त अनुदान के लिए आवेदित कुल परियोजना धन-राशि
2. वित्त अनुदान के लिए आवेदित संविदा धन-राशि

2. उद्यम का विवरण

1. नाम
2. स्थिति
3. संक्षिप्त इतिवृत्त
4. मुख्य मालिक या साझीदार और प्रबंध
5. तीन साल के लिए वित्तीय विवरण (संतुलन पत्र, लाभ, हानि विवरण)
6. कर्मचारियों की संख्या

3. परियोजना का विवरण

1. स्थिति (स्थान, क्षेत्र, आदि)
2. योजनाबद्ध क्षमता
3. परिवहन की सुविधाएं
4. विद्युत और पानी की आपूर्ति
5. कच्चे माल की आपूर्ति
6. श्रम शक्ति
7. संस्थापन कार्यक्रम
8. विपण्यता
9. प्रारम्भिक अवधि के दौरान और पूर्ण उत्पादन प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्याशित बिक्री की कीमत और मासिक व्यवसाय
10. पूंजी की आवश्यकता और वित्त दान
11. उप-ऋण समझौते की शर्तें ।

अनुबन्ध—3

गारंटी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसके बाद 'सरकार' कहा गया) के बदले में बारहवें येन क्रेडिट की शर्तों के अन्तर्गत जारी किये गये आयात लाइसेंस सं० .....दिनांक ..... के आधार पर ..... (जिसे बाद में "आयातक" कहा गया है) के द्वारा ..... के आयात के लिये येन में भुगतान करने के लिये सहमत होते हुये हम ..... बैंक, आयातक की प्रार्थना पर, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा शीर्ष में सरकारी लेखे में जमा करने के लिये भुगतानों की

सूचना की पावती की तिथि से दस दिनों के भीतर बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा व्यय की गई धनराशि को सार्वजनिक सूचना सं० 108–आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 21–7–72 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 15 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28–1–72 में निहित अनुसार अथवा सार्वजनिक सूचनाय/ए डी परिपत्र में समय समय पर अधिसूचित के अनुसार परिवर्तन मिश्रित दर के हिसाब से और इस धनराशि में जापानी संभरक को भुगतान होने की तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य रुपया जमा होने की तिथि तक की अवधि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जोड़ कर धन राशि जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। बैंक आफ इण्डिया, टोकियो में प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को तभी लौटाया जाएगा जब कि उपर्युक्त अपेक्षित रुपया जमा कर दिया गया हो।

2. हम दि..... .....बैंक, समय समय पर ऐसे स्थान और ऐसी रीति से जो सरकार निर्दिष्ट करे, आयातक द्वारा सरकार को देय अथवा चुकाने योग्य किसी धनराशि को जो ..... रुपये से अधिक न हो, या निश्चित समय के भीतर आयातक द्वारा देय या चुकाने योग्य धनराशि के किसी भाग को, और जापानी संभरक को भुगतान करने की तिथि से पिछली कंडिका में उल्लिखित ब्याज की दर से ब्याज को न चुकाने में आयातक की त्रुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का वचन देते हैं। उक्त भुगतान में आयातक द्वारा या उसकी तरफ से किसी प्रकार की त्रुटि और हमारे ..... बैंक, द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय अन्तिम और हमारे .....बैंक पर लागू होगा।

3. हम ..... बैंक, आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविदा के अन्तर्गत आयातों के मूल्य में या जो माल छुड़ाना बाकी है उसके मूल्य में उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर में परिवर्तन होने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के अनुपात में इस बैंक गारन्टी बांड की धन-राशि को समायोजित कर लिया जायेगा।

4. हम ..... बैंक, आगे सहमत हैं कि इसके अन्दर निहित यह आरंटी उक्त करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह तब तक लाग रहेगी जब तक इसके अन्तर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्ण रूपेण नहीं चुकाये जाते और इस गारंटी की हैसियत से दावों को पूर्ण नहीं कर दिया गया हो या वे अदा नहीं कर दिये गये हों।

5. इस गारंटी पर आयातक या दि ..... बैंक, के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किये बिना आयातक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार–को किसी समय या समय-समय के लिये स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ के या आयातक को दिये जा रहे समय के कारण या सरकार की ओर से किसी अन्य स्थगन, निर्णय या छूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी अनुग्रहया कानून के अन्तर्गत प्रतिपूर्तियों से सम्बन्धित कोई भी मामला या वस्तु जो इस परन्तुक के लिये दि .....बैंक, को इसके दायित्वों से मुक्त करने के लिये प्रभाव डाले, सरकार द्वारा इन मामलों में किसी प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रयोग करने से गारंटी के अन्तर्गत दि ..... बैंक, अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

6. हम .....बैंक, अन्त में यह वचन देते हैं कि सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

7. इस बौंड/गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व ..... रुपये (ब्याज और कमीशन प्रभार जिसकी आशा आरंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है) तक प्रतिबन्धित है और यह आगारंटी दिनांक .....तक और जब तक इस तिथि से 6 महीने के भीतर इस गारंटी के अन्तर्गत दावे पूर्ण नहीं कर दिये जाते और जब तक अगले 6 महीनों के भीतर इन दावों को लागू करने के लिये आवेदन या कारवाही नहीं की जाती, तब तक लागू रहेगी। इसके बाद अर्थात् दिनांक .....तक इस बांड/गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकार समाप्त हो जायगे और उसके अन्तर्गत हमारे सब उत्तदायित्वों से हमें छुटकारा और कार्य मुक्ति मिल जायेगी।

दिनांक 197

कृते .....

हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिये

और उनकी ओर से श्री.....

(नाम तथा पदनाम)

हस्ताक्षर.....

जिस तिथि तक साख पत्र को वैध रखने की आवश्यकता होती है उस तिथि में एक महीना जोड़ कर यह तिथि गिनी जाएगी।

टिप्पणी :—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारंटी कार्यान्वित की जानी है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाना है।

अनुबन्ध—4

निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए

स०.....

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक .....

सेवा में,

.....

.....

(भारतीय आयातकों का बैंक)

विषय :—बारहवें येन क्रेडिट के अधीन आयात-साख पत्र खोलने के लिये प्राधिकार पत्र का निर्गमन—आयात लाइसेंस सं०..... दिनांक .....

प्रिय महोदय,

आपकी बैंक गारन्टी सं० ..... दिनांक .....

और सर्वश्री..... (आयातक) के पत्र सं०.....

दिनांक ..... जिसमें उन्होंने आप के बैंक के माध्यम से बाहरवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत साख पत्र खोलने के लिये अनुमति मांगी है, के संदर्भ में मैं आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बैंक आफ इण्डिया को ..... येन तक जापानी संभरकों को भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करते हुये जारी किए प्राधिकार पत्र (प्रारूप इस अनुबन्ध 4 के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न है) संख्या ..... दिनांक .....को (एक अतिरिक्त प्रति के साथ) संलग्न करता हूं। आपको यह प्राधिकार पत्र आपके द्वारा खोले गये साख पत्र के साथ बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा को भेजना चाहिये।

2. आपको इस पत्र की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अधिक से अधिक .....येन तक की धनराशि के लिये साख पत्र खोलने के लिये एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इसकी सूचना इस विभाग को दी जाये। मुद्रा विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तिका के खंड 7 के पैरा 10 की शर्तों के अनुसार आपके लिये यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि साख पत्र समाप्ति की तिथि सम्बन्धित आयात लाइसेंस में पोतलदान के लिये यथा उल्लिखित अन्तिम तिथि या प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट तिथि जो भी इनमें पहले हो उससे आगे 45 दिन के बाद की न हो। साख पत्र खोलने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आयातकों के पास वैध आयात लाइसेंस हैं।

3. आपके द्वारा खोले गये साख पत्र में एक धारा यह होगी कि यह साख पत्र केवल बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा अनुमोदित होने पर ही प्रभावी होगा। इसलिये साख पत्र इस निवेदन के साथ इसी बैंक के माध्यम से जाना है कि यह बैंक इस सम्बन्ध में अपना अनुमोदन साख पत्र के साथ लगा दे कि बाहरवें येन क्रेडिट की शर्तों के अनुसार दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर वह भुगतान करने का वचन देता है। अपना अनुमोदन देने के बाद बैंक आफ इण्डिया, टोकियो साख पत्र को जापानी प्रायोजक बैंक के माध्यम से जापानी संभरक को भेजेगा, जापानी योजक बैंक, जापानी एक्सिम बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा।

4. साख पत्र की धन राशि इस मंत्रालय से विशिष्ट प्राधिकरण लिये बिना बढ़नी नहीं चाहिये।

5. जापानी प्रायोजक बैंक का बैंक-शुल्क जो आरम्भ से बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा चुकाया जायेगा उसके सहित बैंक आफ इण्डिया, टोकियो का बक शुल्क और ब्याज मांग होने पर आपके द्वारा सामान्य बैंक तरीकों से सीधे बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रेषित किया जायेगा।

6. आपसे प्रार्थना की जाती है कि बैंक आफ इण्डिया, टोकियो से दस्तावेज प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई गारंटी के अनुसार जापानी संभरक को येन में चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 108—आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 21—7—72 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 15—आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28—1—72 के अनुसार या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय समय पर जारी की जाएं के अनुसार संभरकों के भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जायेगी।

उपर्युक्त धनराशि के साथ संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक के बीच की अवधि के लिये 6 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा । (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जायेगी) इन धनराशियों को आयातक को आयात दस्तावेज देने से पहले यथार्थ-रूप से जमा करने के लिये व्यवस्था करना आपका उत्तरदायित्व होगा ।

7. ये धन राशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिएं या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं (आदेशक) से आपके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली–6 (आदेशिती और आदाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुंडी के माध्यम से प्रेषित करनी चाहिए । इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 233–आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24–10–1968 और सं० 184–आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 30–8–68 और सं० 132–आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5–10–71 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "टी डिपोजिट्स एंड एडवांसिज पार्ट 2––डिपोजिट्स नाट बियरिंग इन्ट्रेस्ट—सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिज एब्रोड अंडर डायरेक्ट प्रोसीजर" है यह विस्तृत शीर्ष "डिपोजिट फार कोस्ट आफ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट आब्टेंड अंडर टुवेल्थ येन क्रेडिट" के अंतर्गत है ।

8. जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सार्वजनिक सूचना सं० 132–आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5–10–71 के अनुसार नकद में जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि जमा की गई धन राशि बताते हुए और इस पत्र का संदर्भ देते हुए एक अग्रेषित पत्र के साथ आपके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए :––

सहायता लेखा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय,

(आर्थिक कार्य विभाग),

द्वितीय मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग,

पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–1

जिस मामले में तुल्य रुपया उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना सं० 233–आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24–10–68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुंडी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजनी चाहिएं । ब्याज की चुकाई गई धन राशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई हैं उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा सभी मामलों में इस विभाग को प्रस्तुत करना चाहिएं ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय

लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित :—

1. सर्वश्री आयातक सूचनार्थ, उनके उद्धृत पत्र के संदर्भ में प्राधिकार पत्र की एक प्रति भी संलग्न की जाती है ।

2. बैंक आफ इंडिया, टोकियो को सूचनार्थ और 9-1-73 को भारत सरकार के साथ उनके समझौते की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए ।

3. जापान का आयात-निर्यात बैंक, टोकियो, जापान ।

4. भारत का दूतावास, टोकियो, सूचनार्थ ।

अनुबंध—4 का परिशिष्ट—1

प्राधिकार पत्र सं० .....

सं० एफ .....

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय :—बारहवें येन क्रेडिट के अधीन आयात साख पत्र के अनुमोदन के लिए प्राधिकार पत्र का निर्गमन ।

प्रिय महोदयगण,

आपके बैंक के साथ 9 जनवरी, 1973 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार हम एतद्द्वारा आपको (भारतीय आयातक) द्वारा की गई संविदा के आधार पर —————— के आयात के लिए (जापानी संभरक) के पक्ष में —————— येन के लिए (भारतीय बैंक) द्वारा खोला जाने वाला साखपत्र जो (जापानी प्रायोजक बैंक) के माध्यम से लाभग्राही को भेजा जाना है, के अनुमोदन के लिए और इस साख पत्र के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर प्रायोजक जापानी बैंक के शुल्क के साथ उक्त साखपत्र के अधीन धनराशि चुकाने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

2. प्रत्येक भुगतान के बाद, पोतलदान और दूसरे दस्तावेज (परक्राम्य) (भारतीय बैंक) को भुगतान-सूचना के साथ सीधे भेजे जाएं और एक्जिम बैंक आफ जापान/सहभागी सिटी बैंकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए चुकाई गई धनराशियों की प्रतिपूर्ति के लिए आपको तुरन्त दावा करना चाहिए । जब और जैसे ही आप कोई भुगतान करें और आपको कोई धन वापसी मिले तो उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को भेजनी चाहिए ।

3. आपके बैंक का शुल्क और प्रारम्भ में आपके द्वारा चुकाया गया जापानी बैंक का शुल्क और उपर्युक्त साखपत्र के अधीन ब्याज का खर्च (भारतीय बैंक) द्वारा सीधे आपके साथ तय किया जाएगा ।

4. यह प्राधिकार पत्र ---------- तक वैध रहेगा ।

भवदीय

लेखा अधिकारी

अनुबंध—5

बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

सहायता लेखा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
जीवनदीप बिल्डिंग,

10, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

महोदय,

हम . . . . . रुपये के लिए बैंक गारंटी सं० . . . . . दिनांक . . . . . के अन्तर्गत अपने दायित्व के अनुपालन में हमारे द्वारा जमा किए गए रुपये की विस्तृत सूचना नीचे इस आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि बैंक गारंटी रिहा की जाए और हमें लौटाई जाए :—

1. जिसकी ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी उस आयातक/लाइसेंसधारी का नाम और पूरा पता ।

2. आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक, मूल्य, उसके अधीन आयात के लिए अनुमेय किए गए उपस्कर और/या पण्य वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण ।

3. साखपत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण(णों) के ब्यौरे (प्रत्येक प्राधिकरण पत्र के लिए अलग से ब्यौरा दिया जाना है)

   (क) पत्र संख्या और दिनांक

   (ख) प्राधिकरण की धनराशि

   (ग) जापानी येन क्रेडिट की संख्या

4. आयातों के और जमा किए गए रुपये के ब्यौरे (प्रत्येक साखपत्र प्राधिकरण के लिए अलग से ब्यौरा दिया जाना है)

   (क) खोले गए साखपत्र के ब्यौरे (संख्या, दिनांक, मूल्य, संभरक का नाम)

   (ख) बीजक की संख्या और प्रत्येक साखपत्र से संबंधित दिनांक

(ग) ब्रीजक की धनराशि (वास्तविक), येन में

(घ) जमा किए गए रुपये की धनराशि

(ङ) संबंधित चालान सं० और दिनांक और राजकोष/बैंक का नाम

(च) यदि रुपया दर्शनी हुंडी द्वारा जमा किया गया है तो दर्शनी हुंडी की सं० और दिनांक और जिस पत्र के साथ दर्शनी हुंडी स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली को भेजी थी उसकी सं० और दिनांक ।

5. प्रत्येक साखपत्र प्राधिकरण में उपयोग की गई और बिना उपयोग की गई शेष धनराशि (येन)

ii. हम प्रमाणित करते हैं कि :—

(1)* वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण(णों) में उपलब्ध . . . . . येन की शेष धनराशि उपयोग नहीं की गई/उपयोग नहीं की जाएगी ।

अथवा

प्राधिकरण(णों) और गतावधि प्राधिकरणों के अंतर्गत कोई साख पत्र नहीं खोला गया था ।

अथवा

साखपत्र, बिना उपयोग किए समाप्त हो गए प्राधिकरण पत्र (पत्रों) के आधार पर खोला गया था, और

(2) विषयाधीन बैंक गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व विधिवत पूर्ण हो गया है ।

iii. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो का ब्याज और बैंक शुल्क इस सौदे से संबंधित जापानी प्रायोजक बैंक के बैंक-शुल्क सहित बैंक आफ इंडिया, टोकियो को हमारे द्वारा भेज दिया गया है ।

iv. हम आवेदन करते हैं कि बैंक गारंटी कृपया रिहा की जाए और निरस्त करने के लिए हम को लौटा दी जाए ।

भवदीय,

बैंक के लिए और बैंक की ओर

प्राधिकृत अधिकर्ता

*जो भी लागू हो ।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973